UPSH010079252025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

दीवानी प्रकीर्ण वाद संख्या–143/2025

मोहन आदि बनाम श्रीमती रामप्यारी

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम

दिनांकः 03–04–2026

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। विपक्षिया/कैविएटर की ओर से बार–बार पुकार कराये जाने पर भी न तो विपक्षिया स्वयं और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं, न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षिया को पूर्व में अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है।

आवेदकगण की ओर से प्रार्थनापत्र 13 ग मय शपथपत्र 14 ग अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मुख्य रूप से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण मूल वाद संख्या–255/2025, रामप्यारी बनाम मोहन आदि में पक्षकार मुकदमा है, रेस्पान्डेन्ट रामप्यारी ने प्रार्थीगण के खिलाफ दिनांकः 14–10–2025 को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दाखिल किया है और न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को बिना सुने ही स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया। प्रार्थीगण को न्यायालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। गांव में चर्चा के दौरान उक्त मुकदमे के बारे में जानकारी हुई तो प्रार्थीगण ने न्यायालय जाकर पता किया तो प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने पत्रावली के बारे में जानकारी की। न्यायालय से प्रार्थीगण के पास आज तक कोई रजिस्ट्री सम्मन नहीं भेजा गया, जबकि न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पैरवी करें, परन्तु प्रार्थीगण पर कोई पैरवी नहीं की गयी। प्रार्थीगण दिनांकः 19–11–2025 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर दिनांकः 27–11–2025 को प्रार्थनापत्र दिया उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा फॉर्मल आदेश बनाने में कई दिनों का समय लगाया गया और फॉर्मल आदेश न मिलने के कारण समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल नहीं कर सके जिसमें प्रार्थीगण के स्तर पर कोई गलती व लापरवाही नहीं है। प्रार्थीगण ने फॉर्मल आदेश बनाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था और उसकी नकल लेने के लिए प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन उसकी नकल जारी नहीं हो पायी। वादिनी द्वारा प्रार्थीगण पर आदेश 39 की पैरवी नहीं की गयी, जिससे प्रार्थीगण को आदेश की जानकारी हो पाती। प्रार्थीगण स्वयं ही गांव में चर्चा से जानकारी होने पर न्यायालय में

Digitally signed by Vishnu Kumar Sharma
Date: 2026.04.04 10:17:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपस्थित हुए और आदेश की नकल प्राप्त की। प्रार्थीगण ने जानबूझकर कोई गलती व लापरवाही नहीं की है जो भी गलती हुई है, वह न्यायालय की प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र समय सीमा के अन्तर्गत मानकर उसके अधिकारों की रक्षा होगी न होने से प्रार्थीगण अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। रेस्पान्डेन्ट/वादिनी ने आज तक प्रार्थीगण के पास रजिस्ट्री सम्मन नहीं भेजा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रकीर्ण अपील दाखिल किये जाने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 14–10–2025 के विरूद्ध प्रकीर्ण सिविल अपील प्रस्तुत किये जाने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि उसे आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। फॉर्मल आदेश बनाने में कई दिनों का समय लगाया गया और फॉर्मल आदेश न मिलने के कारण समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल नहीं कर सके जिसमें प्रार्थीगण के स्तर पर कोई गलती व लापरवाही नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी की आख्या के अनुसार यह प्रकीर्ण सिविल अपील 30 दिन की समय सीमा के बाद 22 दिन बाहर प्रस्तुत की गयी है। आवेदकगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा विलम्ब के सन्दर्भ में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों को सुने जाने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही मामले को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **श्री बासवाराज बनाम विषेश भूमि अधिग्रहण अधिकारी ए0आई0आर0 2014, पेज 746, एन0सी0टी0 दिल्ली बनाम अहमद जान 2009 (64) ए0सी0सी0 पेज 571** एवं **अब्दुल गफूर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य ए0आई0आर0 2012 पेज 640** में यह अभिमत अवधारित किया गया है कि धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के मामले में न्यायालय को तकनीकी आधार नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि लचीला रूख अपनाया जाना चाहिये। आवेदकगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अपील समय से दाखिल न कर पाने का समुचित एवं पर्याप्त कारण दर्शाया गया है, जो शपथपत्र से समर्थित है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थनापत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

Date: 03-04-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
District Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. UP-1890)

आदेश

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत **दीवानी प्रकीर्ण वाद संख्या–143/2025, मोहन आदि बनाम श्रीमती रामप्यारी**, अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम **मु0–200/–रू0 (दो सौ रूपये मात्र) हर्जे पर** स्वीकार किया जाता है तथा प्रकीर्ण सिविल अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। आवेदकगण को आदेशित किया जाता है कि वे हर्जे की धनराशि आदेश के दिनांक से 07 दिन के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में हर्जे की धनराशि न जमा करने पर यह आदेश स्वत: समाप्त माना जायेगा। पत्रावली वास्ते अंगीकरण सुनवाई दिनांक: 09–04–2026 को पेश हो।

दिनांक: 03–04–2026

(विष्णु कुमार शर्मा)
जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।
(J.O. Code No. UP-1890)

Date: 03-04-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
District Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. UP-1890)